

31/1/25 - पत्रावली पेश हुई - काकी आदि 0 370
 प्रकरण में पत्रिका की सं- 1 की नामील
 प्राप्त हो गई जो शामिल करने की गई
 नामील जोपर नहीं देने से नामील
 पुनः पेश करे के लिए प्र माती
 करे पत्रावली दिनांक 7/2/25 को पेश की

7/2/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली सांखिक आदेश
 दिनांक 7/2/25 को पेश हो।
 आदेश सीडर


27/2/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली सांखिक आदेश
 दिनांक 27/2/25 को पेश हो।
 आदेश सीडर

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। जहाँ आदि. उप. अजामीन की
 तलमी लेकर पत्रावली दिनांक 28/3/25 को
 पेश हो।
 18/3/25

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
 एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया
 हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
 कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सांखिक आदेश
 दिनांक 28/3/25 को पेश हो।
 आदेश सीडर

21/4/25 पत्रावली पेश हुई। जहाँ आदि. उप. अजामीन सं.
 1 के समान बाद नामील प्राप्त। अजामीन सं- 2
 के अन्तर्गत उप. अजामीन सं. 1 बाद सूचना अनुपस्थित।
 अजामीन सं. 1 की विधिमानुसार तीन बार आवाजे
 लगाई गई, कोई उत्तर नहीं आया। अजामीन सं.
 1 के विरुद्ध प्रत्यक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
 जाती है। अजामीन सं. 2 द्वारा जालीबा फस का प्रचार
 जमानत - 21/4/25

सहायक जजक्टर
 नीलवाड़ा

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल जज	नम्बर व तारीख अधिकार जो एत हुकम की तारीख में जारी हुए
8/1/25	<p>उत्तर नहीं कर सीधे ही नरस खुले जाने का निवेदन किया गया। जहाँ आधीवक्ता एवं पैरोकार (कार की जल सुनी गई) जहाँ आधीवक्ता द्वारा दौखाने नरस पार्श्व पर के तपजों का दौखाने कले दुये निवेदन किया कि जहाँ आधीवक्ता द्वारा जल पेशी नोट किये जाने के कारण जहाँ आधीवक्ता निम्न पेशी दिनांक 13/1/2020 को उपस्थित नहीं हो पाये थे। इसके कारण जहाँ गण जब उत्तर मूल वाद संख्या 13/2022 उत्तरांचन आरक्षण देवी जगम कृषिशास्त्र को अदम टाकवी अदम पैरोकी में निर्णित कर दिया गया था। बाद पर कृषि भूमि से सम्बन्धित होकर कृषि भूमि के बिभाजन वाद पेश किया गया था, अतः न्यायाधीश में जहाँ का जर्नल पर स्वीकार किया जाकर जहाँ के मूलवाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश जारी किया जावे।</p> <p>अजहाँ सं-1 अनुपस्थित अजहाँ सं-2 पैरोकार साक्षात् द्वारा निवेदन किया कि जहाँ गण उत्तर मूल वाद के कृषि भूमि के बंटवारे का वाद लेने से जहाँ पर को स्वीकार किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>जहाँ आधीवक्ता एवं पैरोकार सरकार की जल का चिंतन एवं मनन किया गया तथा जहाँ गण उत्तर जर्नल पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. शिबानी सम्बन्धित द्वारा 15 वा. शिबानी का अवलोकन किया गया जहाँ द्वारा उत्तर जर्नल पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. शिबानी में विलम्ब की अवाप्ति की क्षम्य करते हुए जहाँ का जर्नल पर स्वीकार किया जाय उलम 14/25 उचित उचित होगा है।</p> <p>अतः अन्तर्गत विवेचनानुसार जहाँ का जर्नल पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. शिबानी स्वीकार किया जाय है और जहाँ गण उत्तर मूल वाद संख्या 13/2022 उत्तरांचन आरक्षण देवी जगम कृषिशास्त्र को पुनः नम्बर पर लिखे जाने का आदेश दिया जाता है। सिद्धि से वे स्वयं सुनाना गया।</p> <p>प्रसवली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम ही जगम मूल वाद की प्रसवली के साथ नद्वीनक हो।</p> <p style="text-align: center;">  21/1/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा </p>	